राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक प. 7(2) राज/2/2003 जयपुर दिनांक : 11.08.2004

जिला कलेक्टर (समस्त),

राजस्थान ।

विषयः– लैण्ड रिकार्ड कम्प्यूटराईजेशन प्रोजेक्ट की प्रभावी एवं सतत् रुपसे क्रियान्विति किये जाने के सम्बन्ध में ।

.....

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राज्य में जिला एवं तहसील स्तर पर क्रियान्वित की जा रही लैण्ड रिकार्ड कम्प्यूटराईजेशन योजना की प्रभावी एवं सतत् रुप से क्रियान्विति करते हुये इसका लाभ आम काश्तकार को सरलता से सुलभ करवाये जाने की दृष्टि में राज्य सरकार के स्तर पर इस प्रोजेक्ट के कम में लिये गये निर्णयों के परिपेक्ष्य में निम्न बिन्दुओं पर निम्नानुसार तत्काल कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित करते हुये लेख है कि कृपया अपने स्तर से अपेक्षित कार्यवाही करवाने का श्रम करावें , साथ ही की गई कार्यवाही से इस विभाग को भी अवगत करवाया जावे :–

1. जिला एवं तहसील स्तरीय हार्डवयेर की ए.एम.सी.

कुछ जिलों में कम्प्यूटर हार्डवेयर की ए.एम.सी. की समस्या बताई गई है। इस बाबत यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के कोष एवं उपकोष कार्यालयों में स्थापित कम्प्यूटर हार्डवेयर के बाबत स्वीकृत ए.एम.सी. की दरें एन.आई.सी. से प्राप्त करते हुये उक्त दरों पर जिला कलेक्टरों द्वारा एल.आर.सी. कम्प्यूटर हार्डवेयर की ए.एम.सी. की कार्यवाही सम्पादित की जा सकती है ,बशर्ते कि आईटम सिमिलर एवं एक से हों । तहसील एवं जिला स्तरीय सिस्टम की देखरेख हेतु एक फेसिलिटी मैनेजर की सेवाऐं भी ली जाना ए.एम.सी. का हिस्सा होना चाहिए। फेसिलिटी मैनेजर की सेवाऐं ए.एम.सी. लेने वाली फर्म उपलब्ध करवायेगी।

2. सारथी योजना (पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग)

इस योजना एवं कार्य के निमित इयर मार्क कार्मिक को पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग से रिसोर्स परसन के रुप में कम्प्यूटर सम्बन्धी प्रशिक्षण आवश्यक रुप दिलवाने की कार्यवाही की जावे । पंजीयन सम्बन्धी जो कार्य वर्तमान में एल.आर.सी.की मशीनों पर सम्पादित किया जा रहा है वह कार्य तब तक ही सम्पादित किया जावे जब तक कि पंजीयन विभाग की ओर से नियमित मशीनें उपलब्ध करवा दी जावें । निकट भविष्य में तहसीलों को जो और मशीनें उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है,उन मशीनों पर एल. आर.सी. का काम सर्वोपरि प्राथमिकता के साथ सम्पादित किया जावे । जिन तहसीलों में पंजीयन का कार्य एल.आर.सी. मशीनों पर सम्पादित किया जा रहा है,उन मशीनों के रख–रखाव , स्टेशनरी आदि के निमित होने वाले व्यय की राशि 50:50 रुप में राजस्व एवं मुद्रांक विभाग द्वारा व्यय की जानी आवश्यक होगी । कृषि भूमि के विक्रय, वसीयत ,रहन ,रुपान्तरण आदि दस्तावेजों का पंजीयन करवाते समय भू राजस्व जमाबंदी की कम्प्यूटरीकृत प्रतिलिपि ही आवश्यक रुप से ग्राह्य की जावे । इस बाबत् महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा आदेश जारी किये जाने है।

.....2.....

3. कम्प्यूटर से नई चौसाला बनाने के संदर्भ मे

इस वर्ष की नई चौसाला जमाबंदीयों को कम्प्यूटर से बनवाया जाना सुनिश्चित करें। यदि किसी कारण वश गत सेटेश्न के प्रोग्राम की जमाबंदियाँ कम्प्यूटर द्वारा तैयार नहीं की जा सकी हो तो प्राथमिकता के तौर पर इस वर्ष की जमाबंदी को कम्प्यूटर से ही तैयार की जावे । इसके लिये पूर्व वर्षो की जमाबंदी का आधार कम्प्यूटर नहीं लिया जावे । जैसे कि 2053 –56 की जमाबन्दी कम्प्यूटर में है लेकिन 2057--60 की जमाबन्दी कम्प्यूटर से नहीं बनाई गई है तो निश्चित रूप से हस्तलिखित जमाबंदी बनाई गई होगी लेकिन इस वर्ष 2061–64 की जमाबंदी निर्धारित अवधि में आवश्यक रूप से कम्प्यूटर से ही तैयार किया जाना सुनिश्चित कराया जावे. इसके अलावा सभी जमाबन्दियाँ निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक यथासमय कम्प्यूटर से तैयार नहीं की जा सकी है उन जमाबंदियों को आउट सोर्सिंग के माध्यम से तैयार करवाया जावे । इसकी सूचना राजस्व मण्डल को प्रेषित की जावे ताकि मण्डल स्तर पर समस्त जिला कलेक्टरों से प्राप्त सूचना को संकलित करते हुये राज्य सरकार को अवगत करवाया जा सके ।

4. रिसोर्स परसन

एल.आर.सी प्रोजेक्ट की क्रियान्विति हेतु तहसील /जिला /राजस्व मण्डल /राज्य सूचना केन्द्र (एन.आई.सी.) आदि जगहों पर कार्यरत रिसोर्स परसन (पटवारी आदि) को फील्ड में कार्यरत कार्मिकों के समान समस्त प्रकार का वित्तीय लाभ दिया जावे । रिसोर्स परसन को अपने कार्यरत स्थान तथा तहसील /जिला /राज्य सूचना केन्द्र(एन.आई.सी.) मुख्यालय की प्रचलित दरों मुताबिक मकान किराया भत्ता दिया जावे । योजना की सतत् क्रियान्विति हेतु उपरोक्त सभी स्थानों पर कम से कम एक पटवारी को रिसोर्स परसन के रूप में तत्काल पदास्थापित किया जावे ।

5. नामान्तरकरणों को आदिनांक करना

जिन जमाबन्दियों मे कालान्तर से नामान्तरकरण दर्ज नहीं हो रहे हैं, लेकिन जमाबन्दी आदिनांक है,उन जमाबन्दियों के नामान्तरकरणों की स्थिति ज्ञात करने के लिये मासिक प्रगति के आधार पर कम्प्यूटर में इंद्राज किया जावे कि इस माह में कोई नामान्तरकरण पेन्डिंग नहीं है । इस प्रक्रिया को सतत रूप से जारी रखने के लिए एन. आई.सी. द्वारा तैयार किये गये प्रोग्राम मुताबिक कार्यवाही की जावे। नामान्तरकरणों की आदिनांक स्थिति का पता करने के लिए तहसील स्तर से एक यूनिक नम्बर आवंटित किया जाना आवश्यक होगा। इस आधार पर नामान्तरकरण रजिस्टर का क्रमांक यथावत रहेगा। अर्थात् संदर्भ के लिए तहसील जनरेटेड यूनिक नम्बर ही प्रयोग में आयेगा।

6. प्रिप्रिंटेड स्टेशनरी

चालू वर्ष /संवत् से तैयार की जाने वाली भू राजस्व जमाबंदियाँ प्रीप्रिंटेड स्टेशनरी पर ही प्रिंट की जानी आवश्यक होगी ।इस स्टेशनरी का प्रारूप सोफ्टवेयर के मुताबिक होगा । आवश्यकतानुसार स्टेशनरी का प्रिंट उपलब्ध बजट राशि में से ही करवा लिया जावे ।

उपरोक्त निर्देशों मुताबिक प्रभावी कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करते हुये सतत् रुप से प्रोजेक्ट की जिला स्तर पर मासिक तथा तहसील स्तर पर पाक्षिक मोनेटेरिंग की जानी सुनिश्चित करवाई जावे ।

भवदीय,

(जगमोहन श्रीवास्तव)

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं तत्काल अपेक्षित कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव, सूचना प्रोद्योगिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव, वित्त(आय)विभाग।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
4. माननीय सदस्य (एल.आर.), राजस्व मण्डल, अजमेर।
5. निबन्धक राजस्व मण्डल,राजस्थान अजमेर ।
6. निदेशक, आर.आर.टी.आई., अजमेर।
7. महानिरीक्षक,पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,राजस्थान अजमेर ।
8. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी,(एन.आई.सी.) जयपुर ।

उप शासन सचिव